आरक्षण सम्बन्धि महत्वपूर्ण शासनादेशों का अध्ययन

*'डॉ0 दिनेश कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

Abstract- *"उत्तर–प्रदेश में 8 मार्च 1973 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था 1994 तक चलती रही। इसी बीच इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 16 नवम्बर 1992 को संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार की रक्षा का तर्क देते हुए पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। साथ ही राज्य सरकारों से अपेक्षा की कि वे पांच वर्षों में नियमों में परिवर्तन करके पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करें। केन्द्र सरकार ने 17 जून 1995 को 77वें संविधान संशोधन के जरिये इस बारे में राज्य सरकारें को प्रोन्नति में आरक्षण का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। इसके तहत प्रमोशन में आरक्षण फिर लागू हो गया।"*

सामान्य परिचय – वर्ष 2001 में केन्द्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में 85वां संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता का लाभ भी दे दिया। इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक के एम0नागराज ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। न्यायालय में सुनवाई तो जारी रखी लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दी। वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने परिणामी ज्येष्ठता का लाभ देने के लिए सेवा नियमावली में 8 (ए) जोड़ा। इसमें यह व्यवस्था की गई कि पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी या अधिकारी इस व्यवस्था के तहत प्रमोशन पाने के साथ सीनियरिटी (परिणामी ज्येष्ठता) पा जाएगा।

पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धि मुख्य बिन्दुः–

1955 से एससी–एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू हुआ था।

1992 में आरक्षण के मुद्दे पर आए इंद्रा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता इस फैसले से प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो गया।

17 जून 1995 को सरकार ने संविधान में 77वां संशोधन कर अनुच्छेद 16 (4ए) जोड़ा और एससी–एसटी को प्रमोशन में फिर आरक्षण दे दिया। इस संशोधन से कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया।

10 फरवरी 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने आर. के. सबरवाल के मामले में कहा कि एस.सी–एस.टी. वर्ग को परिणामी ज्येष्ठता (कांसीकोसिवल सीनियरिटी) का लाभ नहीं मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने साल 2001 में संविधान में 85वां संशोधन किया और अनुच्छेद 16 (4 ए) में बदलाव करके प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता भी दे दी। 19 अक्टुबर 2006 को एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने एससी परिणामी ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नति में आरक्षण देने के कानूनी प्रावधान को नकार दिया और कहा कि इसके लिए समुचित प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन एवं कार्यक्षमता पर असर न पड़ने वाली शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी होगा।

राजस्थान और उत्तर–प्रदेश सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों में उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली रिपोर्ट नहीं दाखिल की गयी जिसके कारण वहां पर पदोन्नति में आरक्षण विरोधी निर्णय आए।

उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई जिस पर सुप्रीम को ने 27 अप्रैल 2012 को यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के मामले में एक बार फिर एम. नागराज फैसले को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।

आरक्षण सम्बन्धि महत्वपूर्ण शासनादेश–

i. लोक सवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधत्व–

शासनादेश संख्या 587/2–बी–196–1955 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई 1961

मुझे शासकीय संख्या 3289/2–बी–196–1955, दिनांक 22 फरवरी 1956 की ओर, जिसमें शासन के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों के भर्ती विषयक जिसमें शासन के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों के भर्ती विषयक विस्तृत आदेश दिये गये है।

शासनादेश सं0 बी–196/1963, दि0 7.03.1964 जो सेवा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व–अग्रेयन नियम का पुनर्वलोकन के सम्बनध में हैं निम्नलिखित प्रावधान किया गया है –

शासकीय आदेश संख्या – 2328–बी–104–1952: दिनांक 22 सितम्बर 1953

शासकीय आदेश संख्या – 3289–बी–196–1955: दिनांक 22 फरवरी 1956

शासकीय आदेश संख्या – 4927–बी–158–1957: दिनांक 6 जनवरी 1958

जिसमें (1) सीधी भर्ती और (2) विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नत करके रिक्तियों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भरती के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण किया गया था और यह भी कहा गया था कि यदि किसी एक वर्ग में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी किसी सेवा अथवा अधिष्ठान में 18 प्रतिशत तक भरती न हो पाये हों तो अगले दो वर्षो में सम्बद्ध सेवा अथवा अधिष्ठान में

भरती करते समय इस कमी को पूरा कर लेना चाहिये। तदनुसार यदि आरक्षित रिक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों के उपर्युक्त अभ्यर्थी किसी वर्ष विशेष मे पर्याप्त संख्या में नही मिल पाते तो ऐसी रिक्तियॉ उस वर्ष के लिये आरक्षित समझी जाती है और अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित इन शेष खाली जगहों की संख्या को अन्तिम रूप मे व्यपगत करने के पहले दो वर्ष के दौरन में अग्रेनित किया जा सकता हैं।यदि रिक्तियाँ केवल दो ही हो, तो उसमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जाय। किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही तो उसे आरक्षित रिक्ति समझा जायेगा।

ii. सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों पर प्रतिनिधित्व :–

शासनादेश संख्या– 13–एस0 सी0/2–बी–311–64 लखनऊ, दिनांक 10 मार्च 1994

मुझे शासनादेश संख्या –ओ–3149/2–बी/26–1949 दिनांक 29 अक्टूबर 1949 के पैरा 5 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि जिनमें यह निर्धारित किया गया था कि यदि अनुसूचित जातियों के ऐसे अभ्यथी जो न्यूनतम अर्हताऐं रखते हो, अन्य **अभ्यर्थियों की अपेक्षा काफी कम योग्य पाये जायें तो भी नियुक्ति के लिए उनका चुनाव उनके लिये निर्धारित प्रतिभाग (कोटा) तक किया जाना चाहिऐ।**

iii. लिपिकीय तथा अवर सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण–

शासनादेश संख्या– 79–एस0सी/2–बी–304–63 लखनऊ, दिनांक 3 जून 1964

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पार्श्वांकित वर्तमान आदेशों के अधीन विभिन्न सेवाओं में भरती के लिये उन रिक्तियों का, जिनकी पूर्ति सीधी भरती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नत करके की जाती है, 18 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये निर्धारित किया गया है। समय–समय पर सरकार द्वारा शासनादेश संख्या– 2328/2–बी0–104–1952,, जारी किये गये अनुदेशों के बावजूद सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 18 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियों के कोटे को पूरा करने के लिये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सामान्यतया पर्याप्त संख्या में भरती नहीं किये गये हैं अतएव अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण को पूरा करने के उद्देश्य से राज्यपाल यह आदेश देते है कि भविष्य में लिपिकीय तथा अवर सेवाओं में की जाने वाली भर्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों का आरक्षण उस समय तक क्रमशः 25 प्रतिशत और 45 प्रतिशत होगा जब तक कि उनके सम्बन्धित संवर्गो में 18 प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाये।

iv. राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण के कोटे की पूर्ति–

शासनादेश संख्या – 15/82/75–रा0एकी0 लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल 1976

शासनादेश सं0 14/1/73–1 रा0 एकी0 दिनांक 10 जुलाई 1973 (प्रतिलिपि संलग्न) यह निर्देश जारी किये गये थे कि समस्त मंडलायुक्त विभागाध्यक्ष तथा ऐसे सभी अधिकारी जो जिलों का दौरा करते हो तथा अपने अधीनस्थ सरकारी विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण करते हो, वे इस बात को विशेष रूप से देखें कि उनसे सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधत्व की स्थिति क्या है और किस हद तक उक्त जातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन अथवा कार्यान्वयन किया गया है। जिन विभागों/कार्यालयों में उक्त जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण का कोटा पूरा न पाया जाए उनसे सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी को इस सम्बन्ध में शासन की नीति से अवगत कराते हुए जोर देकर यह कहा जाय कि वे आरक्षण की पूर्ति की दिशा में सक्रिय प्रयास करें।

v. सेवाओं में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अनारक्षित डिरिजर्वेशन नियम का पुनर्विलोक–

शासनादेश संख्या 15/25/73 (4) रा0एकी0लखनऊ दिनांक 10 मई 1976

मुझे पश्र्वाकित आदेशों की ओर आपका ध्यान आर्कषित करते हुए यह निवेदन करना है कि हाल ही में यह प्रश्न विचारार्थ आया हूॅ कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने की प्रक्रिया भारत सरकार के अनारक्षण के आदेशों के अनुकूल है या नही। यह अनुभव किया गया है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुकून नहीं है।

(2) अतएव शासन ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति की पूर्ति किसी सामान्य अभ्यर्थी द्वारा नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसे निहित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण मुक्त न कर दिया गया हो।

(3) नितांत अस्थाई नियुक्तियों को जिनके किसी प्रकार स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक चलते रहने की कोई सम्भावना न हो विभागों द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद कि उपयुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में सेवायोजन कार्यालय, समाचार पत्रों आदि द्वारा वृहत् प्रचार को कार्यवाही यथोचित रूप से पूरी की गई है। प्रत्येक विभाग द्वारा आरक्षण मुक्त किये गये पदों के सम्बनध में ब्यौरा संलग्न प्रपत्र में संहत रूप में प्रतिवर्ष पहली जनवरी के बाद और किसी भी दशा में

पहली अप्रैल से पहले राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को भेजा जाना आवश्यक है। यदि केवल दो ही रिक्तियॉ हो तो उनमें से एक रिक्ति को आरक्षित रिक्ति माना जायगा।

vi. अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों द्वारा रिक्त पद उसी जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी राज्य विधान मण्डल की संयुक्त समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुति संख्या 411–

शासनादेश संख्या 7952/चालीस–78–रा0एकी0 15 (63–76 लखनऊ दिनांक 22 सितम्बर 1978)

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान शानादेश संख्या 4 ए0सी/II–बी–302–64 दिनांक 18 फरवरी, 1964 की ओर आकर्षित किया जाता है कि जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि जो रिक्तियॉ अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के हटाये त्याग–पत्र देने आदि से हो उन्हें यथासम्भव उसी जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाये ताकि उनके प्रतिनिधित्व में आगे कमी ना हो।

vii. अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग–अलग साक्षात्कार, उनके बीच आरक्षित रिक्तियों का आदान–प्रदान, स्थायीकरण में आरक्षण, विभागीय चयन समितियों में इन जातियों के अधिकारियों को विभागीय चयन समितियों तथा भरती के नियमों में आरक्षण का प्रावधान करना आदि।

शासन सं0 15/25/75 (1) /रा0 एकी0 लखनऊ, दिनांक 10 मई 1976

शासन के सामने यह प्रश्न विचारार्थ आया कि उपरोक्त विषयों पर जो सुविधायें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये दी गई है वे राज्य सरकार के सेवाओं आदि में उपलब्ध है या नहीं यह अनुभव किया गया है कि इस प्रकार की सुविधायें राज्य सरकार की सेवाओं आदि मे उपलब्ध नहीं है। अतएव शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय–

अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अलग साक्षात्कार हेतु उस दिन या चयन समिति की उस बैठक में किया जायेगा जिस दिन व जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं करना हो ताकि अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने में सामान्य उम्मीदवारो से उनकी तुलना न की जा सके तथा साक्षात्कार करने वाले अधिकारी/बोर्ड इस बात की आवश्यकता से भली–भांति अवगत हों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद्वारो की योग्यता का मूल्यांकन शिथिल किये गये मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।

viii. अनुसूचित जाति के जनजाति के हेतु बची रिक्तियों का परस्पर आदान प्रदान– जहॉ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को केवल सम्बद्ध समुदाय के लिय ही आरक्षित माना जा सकता है वहाँ जिस रिक्ति को आगे के तीन वर्ष अग्रेनीत किये जाने पर भी यदि उसकी पूर्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा न की जा सकी हो तो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित उक्त रिक्ति पर अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता हैं।

ix. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण–किसी भरती वर्ष में हाने वाली किसी एकल रिक्ति का आरक्षण–

शासनादेश संख्या 15/35/76 रा0एकी0 लखनऊ, दिनांक 29 दिसम्बर 1976

शासनादेशों अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिये 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण किया गया था और सीधी भरती के मामले में यह कहा गया था कि यदि आरक्षित रिक्तियों के लिये भरती के अवसर पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सके तो ऐसी रिक्तियॉ आरक्षित रिक्तियों के समान भर दी जाए और भर्ती उसी समान की जाय किन्तु उन्हें भरती के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत किया जाना चाहिये। इस प्रकार पदोन्नित के मामलें में यह कहा गया कि यदि आरक्षित रिक्तियों के लिये चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति व जनजजाति के अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों को कार्य दृष्टि से भरा जाना आवश्ययक ही समझा जाता है तो उनमें केवल तदर्थ आधार पर योग्यता कम करके उन्हीं वर्गों से अस्थाई नियुक्तियॉ कर ली जाये यदि रिक्तियॉ केवल दो ही हों तो उनमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जाये। किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही हो तो उसे आरक्षित समझना चाहिऐ।

x. अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए राज्य सेवाओं/ पदों के तृतीय वर्ग के गैर तकनीकी तथा चतुर्थ वर्ग के समस्त पदों में अल्पकालिक तथा अवकाश रिक्तियों में आरक्षण–

शासनादेश संख्या 15/51/75–रा0 एकी0 लखनऊ, दिनांक 14 मार्च 1977

शासनादेश संख्या 65/9/69–रा0 एकी0, दिनांक 12 फरवरी, 1970 द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये राज्य सेवाओं/पदों के तृतीय वर्ग के गैर तकनीकी तथा चतुर्थ वर्ग के समस्त पदों में अल्पकालिक तथा अवकाश रिक्तियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। शासन के सामने एक प्रश्न यह आया है कि अल्पकालिक अथवा अवकाश रिक्तियों से क्या तात्पर्य है अथवा कितने दिनों की रिक्तियाँ अल्पकालिक अथवा अवकाश रिक्तियाँ मानी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि **अल्पकालिक** अथवा **अवकाश कालीन** रिक्तियों का तात्पर्य उन रिक्तियों से होगा जो **45 दिन या इससे**

अधिक दिन तक चलती रहे और जिनमें ''स्टाप गैप'' व्यवस्था द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ भी सम्मिलित रहेंगी।

xi. सहायता प्राप्त प्राविधिक संस्थाओं की शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था–

शासनादेश संख्या 1686 ई0 डी0 18घ–76 लखनऊ, दिनांक 19 मई 1976।

राष्ट्रीय नीति तथा माँग के औचित्य को दृष्टि में रखते हुए शासन का स्पष्ट मत है कि सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक सेवाओं में इन जातियों के लिये आरक्षण होना चाहिये। अतः अनुरोध है कि सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सक्रिय व्यवस्था करें तथा इस दिशा में कृत कार्यवाही को सूचना से शासन को यथाशीघ्र अवगत करने की कृपा करें। इस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

xii. प्रतियोगितात्मक परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से 'योग्यता' (मेरिट) के आधार पर चुने गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित कोटे के विपरित समायोजित न किया जाना–

शासनादेश संख्या : 22.20.82 –का0–94 लखनऊ : दिनांक : 4 जुलाई, 1994

''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाजियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–4 की उपधारा (6) में यह प्रावधान है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति, चाहे उसने निर्धारित मानकों शिथिलीकरण यथा–आयु सीमा से छूट आदि की सुविधा प्राप्त की हो, योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे सम्बन्धित श्रेणी/वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। उक्त अधिनियम दिनांक : 11 दिसम्बर, 1993 से प्रवृत्त हुआ है अर्थात दिनांक 11 दिसम्बर, 1993 को तथा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले चयनों के आधार पर पद आवंटन हेतु उक्त अधिनियम की व्यवस्था लागू होगी। सम्मिलित परीक्षाओं हेतु उक्त व्यवस्था का समसंख्यक शासनादेश दिनांक : 19 दिसम्बर, 1991 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है–

''एक से अधिक सेवाओं हेतु आयोजित सम्मिलित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का आवंटन/चयन प्रत्येक सेवा को अलग–अलग मानते हुए किया जाना चाहिए। यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी अपनी वरीयता (प्रीफरेन्स) के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित मानकों के शिथिलीकरण तथा आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त किये बिना ''श्रेष्ठता/मेरिट में आता है तो उसका समायोजन आरक्षित कोटे की रिक्ति/पद के विरूद्ध नहीं किया जाये। इसके विपरीत आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी यदि अपनी

वरीयता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित मानको के शिथिलीकरण या आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त कर चयन सूची में आता है तो उसका समायोजन सामान्य वर्ग में किया जाना चाहिए।''

xiv. विभागीय चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के एक सदस्य को रखा जाना।

शासनादेश संख्या : 22–2–1985–कार्मिक–2 लखनऊः दिनांक 31 मई, 1986

शासनादेश संख्या 15/25/73–रा0एकी0 दिनांक 10 मई, 1976 में यह व्यवस्था की गई थी कि विभागीय चयन समितियों/सेलेक्शन बोर्डों आदि का गठन करते समय एक अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी को नामित करने का यथा सम्भव प्रयास किया जाय।

शासनादेश संख्या 22–2–1985–कार्मिक–2, लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 1989

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 31 मई, 1986 में यह शासनादेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि समूह 'ग' व 'घ' के उन पदों पर जो लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परिधि में नही आते है, चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का जो सदस्य आवश्यक रूप में नामित किया जाता है वह यथा सम्भव चयन से सम्बन्धित विभाग से भिन्न विभाग का होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ (Refrence Books) –

मदुलाल, कुसुम0 (2006) *दलित शिक्षा का परिदृश्य.* दिल्ली: कल्पज पब्लिकेशन.

वक्शी, एन0एस0 (2007) *मानव अधिकार शिक्षा.* दिल्ली: प्रेरणा प्रकाशन.

शर्मा, रामशरण0 (2009) *शूद्रो का प्राचीन इतिहास.* इलाहाबाद: राजकमल प्रकाशन.□□□ 16.20

त्रिपाठी,मधुसूदन. (2009) *शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी.* नई दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन, पेज 108–107

बसु, दुर्गादास. (2009) *भारत का संविधान.* नई दिल्ली: लेक्सिसस नेक्सिस पब्लिशिंग. कैनाट पैलेश.

सिंह, संजय0 (2010) *दलित और शिक्षा.* नई दिल्ली: आयोग पब्लिकेशन्स. दरियागंज.

पब्लिकेशन्स.

अग्रवाल,एच.ओ. (2010) *हयूमन राईट.* इलाहाबाद: सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स.

शास्त्री,शकरानंद. (2011) *डॉ भीमराव आम्बेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएँ.* नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन. पेज 21–25

शास्त्री,शकरानंद. (2011) *पूना पैक्ट बनाम गाँधी.* नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन. □□□. 15

पाण्डेय,जय.नारायण (2011) *भारत का संविधान.* इलाहाबाद: सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स. पेज 349–385

गर्ग, अजय.कुमार. (2012) *रिजर्वेशन एंड कंशेसन.* नई दिल्ली: नेभी प्रकाशन.

मिश्रा.आर.एन. (2015) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम